जनपद उत्तरकाशी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वर्णिम ग्रेड– A प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित मानक

1. अवधारणा

जनपद उत्तरकाशी के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्ता युक्त शैक्षणिक परिवेश सृजन, छात्र उपस्थिति में सुधार, अकादमिक,सांस्कृतिक,क्रीडा क्षेत्र में प्रतिभाग एवं उपलब्धियों के अवसर उत्पन्न करने विद्यालय का भौतिक परिवेश में सुधार, विद्यालय विकास योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग के अवसर को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विद्यालयों को स्वर्णिम ग्रेड– A प्रमाणिक घोषित किया जायेगा। विद्यालयों को स्वर्णिम ग्रेड–A घोषित करने का प्रयोजन है कि शनैः–शनैः जनपद के सभी प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन विद्यालय उत्कृष्टता को प्राप्त करें तथा जनमानस एवं समाज में राजकीय विद्यालयों की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।

निर्धारित मानक के अनुसार प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ अकं अर्जित करने वाले पांच–पांच विद्यालयों को पुरूस्कृत किया जायेगा। इसके साथ ही प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय जो निर्धारित मानकों के अनुसार 80% (48 अंक से अधिक) से अधिक अंक प्राप्त करेगा स्वर्णिम ग्रेड– A का प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

2. विद्यालय को स्वर्णिम ग्रेड –A प्रमाण पत्र निर्गत करने के मापदण्ड एवं अधिकतम अंक–

क्र0	मापदण्ड	अधिकतम अंक
1	विद्यालय विकास अनुदान का समयान्तर्गत उपभोग	05
2	वार्षिकोत्सव आयोजन	05
3	छात्रों द्वारा विषयान्तर्गत प्रोजेक्ट निर्माण	05
4	शैक्षिक सत्र में समस्त कक्षाओं में छात्रों की औसत उपस्थिति (अप्रैल से दिसम्बर)	05
5	शैक्षिक दैनन्दिनी में विधिवत अंकना	05
6	विद्यालय प्रांगण /परिसर का भौतिक परिवेश	05
7	छात्रों का विकास खण्ड /जनपद/ राज्य /राष्ट्रीय स्तर पर अकादमिक /सांस्कृतिक/ क्रीडा क्षेत्र में प्रतिभाग/उपलब्धि	05
8	प्राथमिक स्तर पर रा0गां0न0विद्यालय /जवाहर नवोदय/एकलब्य /हिमज्योति /सैनिक स्कूलों में प्रवेश हेतु आवेदन	05
	उच्च प्राथमिक स्तर पर NMMS/ इन्सपायर्ड एवार्ड हेतु आवेदन	
9	विद्यालय विकास योजना, वार्षिक उपविकास योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन	05
10	प्रतिभा दिवस आयोजन	05
11	एस0एम0सी0 बैठकों का विधिवत नियमित आयोजन	05
12	गतिमान सत्र में विद्यालय की नवम्बर माह की मासिक परीक्षा की औसत सम्प्राप्ति	05
	कुल	**60**

3. विद्यालय का स्वर्णिम ग्रेड –A निर्धारण हेतु निर्धारित मानकों में अंकना हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त–

I. **विद्यालय विकास अनुदान का समयान्तर्गत उपभोग** – विद्यालय विकास अनुदान का समायान्तर्गत उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मानक निर्धारण किया गया है। समग्र शिक्षा द्वारा विद्यालयों को प्रदत्त विभिन्न अनुदानों का 3 माह के अन्तर्गत उपभोग की स्थिति में 05 अंक, 06 माह के अन्तर्गत उपभोग की स्थिति में 03 अंक व 6 माह से अधिक अवधि में उपभोग की स्थिति में शून्य अंक निर्धारित है।

II. **वार्षिकोत्सव आयोजन**– वार्षिकोत्सव के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मानक का निर्धारण किया गया है। वार्षिकोत्सव का अयोजन 15 दिसम्बर तक किया जाना अनिवार्य होगा। वार्षिकोत्सव आयोजन की स्थिति में विद्यालय को 5 अंक एवं वार्षिकोत्सव को आयोजन न होने की स्थिति में शून्य अंक प्रदान किया जायेगा।

III. **छात्रों द्वारा विषयान्तर्गत प्रोजेक्ट निर्माण**– प्रोजेक्ट निर्माण के माध्यम से छात्रों को स्वअधिगम के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मानक का निर्धारण किया गया है। कुल पंजीकृत छात्रों के सापेक्ष प्रोजेक्ट बनाने वाले छात्रों के प्रतिशत के आधार पर विद्यालयों को अंक प्रदान किया जायेगा। 90 प्रतिशत से अधिक छात्रों द्वारा प्रोजेक्ट निर्माण करने पर 05 अंक 80 प्रतिशत से अधिक छात्रों द्वारा प्रोजेक्ट निर्माण करने पर 04, अंक 70 प्रतिशत से अधिक छात्रों द्वारा प्रोजेक्ट निर्माण करने पर 03, अंक 60 प्रतिशत से अधिक छात्रों द्वारा प्रोजेक्ट निर्माण करने पर 2 अंक, व 60 प्रतिशत से कम छात्रों द्वारा प्रोजेक्ट निर्माण करने पर शून्य अंक विद्यालय द्वारा अर्जित किया जायेगा।

IV. **समस्त कक्षाओं में छात्रों की औसत उपस्थिति**– विद्यालयों में समस्त कक्षाओं में छात्रों की औसत उपस्थिति में सुधार के दृष्टिगत मानक का निर्धारण किया गया है–

$$\text{औसत उपस्थित} = \frac{\text{कुल छात्रों की वार्षिक उपस्थिति}}{\text{छात्र सं0 X कार्य दिवस}} \times 100$$

क्र0	मानक	अंक
1	90 प्रतिशत से अधिक औसत उपस्थित पर	05
2	80 प्रशिशत से अधिक औसत उपस्थित पर	04
3	70 प्रशिशत से अधिक औसत उपस्थित पर	03
4	70 प्रशिशत से कम औसत उपस्थित पर	शून्य

V. **शैक्षणिक दैनिन्दनी की विधिवत अंकना** – शिक्षकों में दैनिन्दनी लिखने की प्रवृति विकसित करना, न्यून शैक्षणिक सम्प्राप्ति वाले छात्रों की चहचान एवं बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, उपचारात्मक शिक्षण, टी0एल0एम0 प्रयोग को सुनिश्चित कराना एवं प्रधानाध्यापक/संस्था प्रधान द्वारा शैक्षणिक गतिविधि का निरीक्षण एवं अनुश्रवण के महत्व को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से मानक का निर्धारण किया गया है। सभी शिक्षकों द्वारा अग्रिम रूप से मानक के अनुरूप शैक्षणिक दैनिन्दनी लिखना एवं प्रधानाध्यापक/संस्था प्रधान द्वारा अवलोकन एवं सुधारात्मक टिप्पणी अंकना पर 05 अंक अन्यथा शून्य अंक विद्यालय द्वारा अर्जित किया जायेगा।

VI. **विद्यालय प्रांगण का भौतिक परिवेश**– विद्यालय के भैतिक परिवेश में सुधार के दृष्टिगत मानक का निर्धारण किया गया है। इसके अन्तर्गत विद्यालय की लधु मरम्मत रंग रोगन,ब्लैक बोर्ड की उपयुक्तता, टी0एल0एम0 की उपलब्धता एवं प्रयोग (दैनिन्दनी के आधार पर), प्रांगण की स्वच्छता, व शैचालय की स्वच्छता मानक पर प्रत्येक मानक को अधिकतम 01 अंक के साथ कुल अधिकतम 05 अंक विद्यालय द्वारा अर्जित किये जायेंगे।

VII. **विकास खण्ड/ जनपद/ राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर, पर अकादमिक /सांस्कृतिक /क्रीडा क्षेत्र में उपलब्धि–** छात्रों को विकास खण्ड/ जनपद/ राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर, पर अकादमिक /सांस्कृतिक /क्रीडा क्षेत्र में प्रतिभाग करने के अवसरों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से मानक का निर्धारण किया गया है।

क्र0 सं0	मानक	अंक
1	विकास खण्ड स्तर पर प्रतिभाग करने पर	01
2	विकास खण्ड स्तर पर उपलब्धि/ जनपद स्तर पर प्रतिभाग	02
3	जनपद स्तर पर उपलब्धि/ राज्य स्तर पर प्रतिभाग	03
4	राज्य स्तर पर उपलब्धि/ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग	04
5	राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि	05

VIII. **राजकीय प्राथमिक एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं /पुरूस्कार हेतु नामांकन–** प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं (प्राथमिक स्तर पर रा0गां0न0विद्यालय /जवाहर नवोदय/एकलब्य/हिमज्योति/ सैनिक स्कूल एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर NMMS/इन्सपायर्ड एवार्ड)/पुरूस्कार हेतु नामांकन/ आवेदन को प्रोत्साहन हेतु मानक का निर्धारण किया गया है।

क्र0	मानक	अंक
1	20 से अधिक छात्रों का नामांकन/ओवदन	05
2	16 से 20 छात्रों का नामांकन/ओवदन	04
3	12 से 15 छात्रों का नामांकन/ओवदन	03
4	12 से कम छात्रों का नामांकन/ओवदन	शून्य

(यदि छात्र द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं हेतु नामांकन /आवेदन करने पर पृथक–पृथक गणना की जायेगी।)

IX. **विद्यालय विकास योजना/वार्षिक उप विकास योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन** विद्यालय विकास योजना/वार्षिक उप विकास योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से मानक का निर्धारण किया गया है।

क्र0	मानक	अंक
1	विद्यालय विकास योजना तथा वार्षिक उपयोजना बनाई गई एवं पूर्णतः क्रियान्वयन	05
2	विद्यालय विकास योजना तथा वार्षिक उपयोजना बनाई गई किन्तु पूर्णतः क्रियान्वयन नही	03
3	विद्यालय विकास योजना नहीं बनाई गई	शून्य

X. **प्रतिभा दिवस आयोजन–** छात्रों में निहित प्रतिभाओं को विकसित करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मानक का निर्धारण किया गया है। प्रतिभा दिवस का आयोजन एवं अभिलेखीकरण के आधार पर विद्यालय को 5 अंक प्रदान किया जायेगे। अपूर्ण अभिलेखीकरण पर शून्य–अंक अनुमन्य होगा।

क्र0	मानक	विवरण	निर्धारित अंक
1	प्रतिभा दिवस आयोजन	प्रतिभा दिवस आयोजन एवं अभिलेखीकरण पूर्णतः संरक्षित होने पर	05
		प्रतिभा दिवस आयोजन अभिलेखीकरण पूर्णतः संरक्षित न करने पर	शून्य

XI. एस0एम0सी0 की बैठकों का आयोजन – एस0एम0सी0 को विद्यालय की अकादमिक तथा भौतिक संसाधन में सुधार के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के उद्देश्य से मानक का निर्धारण किया गया है।

क0	मानक	विवरण	निर्धारित अंक
1	एस0एम0सी0 बैठकों का आयोजन	एस0एम0सी0 की नियमित का आयोजन एवं बैठक में अकादमिक /भौतिक संसाधन पर चर्चा	05
		एस0एम0सी0 की बैठक में केवल आकदमिक चर्चा	03
		बैठक नियमित आयोजित नहीं	शून्य

XII. गतिमान सत्र में विद्यालय की उच्चतम कक्षा का माह नवम्बर का मासकि परीक्षा की औसत संम्प्राप्ति।

क0	मानक	विवरण	निर्धारित अंक
2	गतिमान सत्र में विद्यालय की नवम्बर की मासिक परीक्षा की औसत सम्प्राप्ति	70 प्रतिशत से अधिक	05
		50 प्रतिशत से अधिक	03
		50प्रतिशत से कम	शून्य

4. स्वर्णिम ग्रेड –A ग्रेड प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अवधि– गतिमान शैक्षणिक सत्र की गतिविधि के आधार पर आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु स्वर्णिम ग्रेड –A प्रमाण पत्र माह मार्च में निर्गत किया जायेगा। प्रमाण पत्र अगामी दो शैक्षणिक सत्र हेतु मान्य होगा। दो वर्ष बाद विद्यालय को स्वर्णिम–A ग्रेड प्रमाण पत्र अर्जित करने हेतु पुनः आवेदन करना होगा।

5. पात्रता स्वर्णिम ग्रेड–A प्रमाण पत्र की पात्रता राजकीय प्राथमिक/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र नामांकन के आधार पर निर्धारित की गई है। विद्यालय, आवेदन हेतु निम्न तालिकानुसार छात्र नामांकन के आधार पर अर्ह होंगे।

क्र0	विद्यालय	छात्र नामांकन
1	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	30 से अधिक
2	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	40 से अधिक

6. आवेदन हेतु अवधि– विद्यालयों द्वारा 01 फरवरी से 28 फरवरी के मध्य स्वर्णिम ग्रेड– A प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया जायेगा।

जनपद उत्तरकाशी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वर्णिम ग्रेड– A प्रमाण पत्र हेतु आवेदन का प्रारूप

स्वर्णिम ग्रेड –A प्रमाण पत्र आवेदन वर्ष ....
(आगामी शैक्षणिक सत्र का उल्लेख करें।)
विद्यालय का नाम–
संकुल का नाम–
विकास खण्ड –

क्र0	विद्यालय	निर्धारित छात्र नामांकन	विद्यालय में छात्र नामांकन
1	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	30 से अधिक	
2	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	40 से अधिक	

मूल्यांकन हेतु मानक–

क्र	मानक	विवरण			निर्धारित अंक	विद्यालय द्वारा अर्जित अंक
1	विद्यालय विकास अनुदान का समयान्तर्गत उपभोग	अनुदान प्राप्त तिथि	अनुदान उपभोग तिथि	3 माह के अन्दर	05	
				6 माह के अन्दर	03	
				6 माह से अधिक	शून्य	
2	वार्षिकोत्सव आयोजन	आयोजन तिथि..................... (15 दिसम्बर से पूर्व आयोजन होना अनिवार्य)		आयोजन किया गया	05	
				आयोजन नही किया गया	शून्य	
3	प्रोजेक्ट निर्माण	पंजीकृत छात्र (**X**) ☐ प्रोजेक्ट निर्माण करने वाले छात्रों की सं0 (**Y**)= ☐ प्रोजेक्ट बनाने वाले छात्रों का प्रतिशत $= \frac{Y}{X} x100$ ☐		90 प्रतिशत से अधिक	05	
				80 प्रतिशत से अधिक	04	
				70 प्रतिशत से अधिक	03	
				70 प्रतिशत से कम	शून्य	

क्र	मानक	कक्षा	कार्य दिवस	छात्र सं0	छात्र सं0 xकार्य दिवस	कुल उपथिति			
4	विगत वर्ष में समस्त कक्षाओं की ओसत उपस्थिति दिसम्बर माह तक	1/6					90 प्रतिशत से अधिक	5	
		2/7					80 प्रतिशत से अधिक	4	
		3/8					70 प्रतिशत से अधिक	3	
		4					70 प्रतिशत से कम	शून्य	
		5							
		कुल							

औसत उपस्थित = $\frac{\text{कुल छात्रों की वार्षिक उपस्थिति}}{\text{छात्र सं0 X कार्य दिवस का योग}}$ X 100

क्र	मानक	विवरण	निर्धारित अंक	विद्यालय द्वारा अतिर्जत अंक
5	शैक्षिक दैनिन्दनी की विधिवत अंकना	विद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षकों द्वारा विधिवत शैक्षणिक दैनिन्दनी की अंकना पर	05	
		समस्त शिक्षकों द्वारा विधिवत शैक्षणिक अंकन न किये जाने पर	शून्य	
6	विद्यालय प्रांगण का भौतिक परिवेश	रंग रोगन / लधु मरम्मत	1	
		ब्लैक बोर्ड की उपयुक्तता (सभी कक्षाओं में)	1	
		टीएलएम की उपलब्धता एवं प्रयोग (दैनिन्दनी के अधार पर)	1	
		प्रांगण की स्वच्छता	1	
		शौचालय की स्वच्छता व रखरखाव	1	
7	विकास खण्ड, जनपद, राज्य व राष्ट्रीय स्तर, पर अकादमिक /सांस्कृतिक/क्रीड़ा क्षेत्र में प्रतिभाग एवं उपलब्धि	विकास खण्ड स्तर पर प्रतिभाग करने पर	1	
		विकास खण्ड स्तर पर उपलब्धि/ जनपद स्तर पर प्रतिभाग	2	
		जनपद स्तर पर उपलब्धि/ राज्य स्तर पर प्रतिभाग	3	
		राज्य स्तर पर उपलब्धि/ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग	4	
		राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि	5	
8	प्राथमिक स्तर पर रा0गां0न0विद्यालय /जवाहर नवोदय/एकलब्य/हिमज्योति/ सैनिक स्कूल हेतु आवेदन	20 से अधिक छात्रों का नामांकन/ओवदन	5	
		16 से 20 छात्रों का नामांकन/ओवदन	4	
		12 से 15 छात्रों का नामांकन/ओवदन	3	
	उच्च प्राथमिक स्तर पर NMMS/इन्सपायर्ड एवार्ड हेतु आवेदन	12 से कम छात्रों का नामांकन/ओवदन	शून्य	
9	विद्यालय विकास योजना/ उपयोजना (वार्षिक) का निर्माण एवं क्रियान्वयन	विद्यालय विकास योजना तथा वार्षिक उपयोजना बनाई गई एवं पूर्णतः क्रियान्वयन	05	
		विद्यालय विकास योजना तथा वार्षिक उपयोजना बनाई गई किन्तु पूर्णतः क्रियान्वयन नही	3	
		विद्यालय विकास योजना नहीं बनाई गई	शून्य	
10	प्रतिभा दिवस आयोजन	प्रतिभा दिवस आयोजन अभिलेखीकरण पूर्णतः संरक्षित होने पर	05	
		प्रतिभा दिवस आयोजन अभिलेखीकरण न करने पर	शून्य	

11	एस0एम0सी0 बैठकों का आयोजन	एस0एम0सी0 की नियमित मासिक बैठक एवं बैठक में अकादमिक /भौतिक संसाधन पर चर्चा	05	
		एस0एम0सी0 की बैठक में केवल आकदमिक चर्चा	03	
		बैठक नियमित आयोजित नहीं	शून्य	
12	गतिमान सत्र में विद्यालय की नवम्बर की मासिक परीक्षा की औसत सम्प्राप्ति	70 प्रतिशत से अधिक	05	
		50 प्रतिशत से अधिक 70 प्रतिशत तक	03	
		50प्रतिशत से कम	शून्य	
विद्यालय द्वारा अर्जित कुल अंक				

नोट– विद्यालय द्वारा 80 प्रतिशत अंक से अधिक (48 अंक से अधिक अंक अर्जित करने पर स्वर्णिमग्रेड –A प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

प्रति हस्ताक्षरित उपशिक्षा अधिकारी
नाम
पद
मुहर

हस्ताक्षर मुहर प्रधानाध्यापक
नाम
पद
मुहर

जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0 शि0 का मन्तव्य